

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईवतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

जसलीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
संख्या :- 478/2023
पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

गुरजीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।
धर्म सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

.....वादीगण

बनाम

गुरचरण सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
गुरजाप सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह सिधू जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
गुरमेल सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
चरणजीत कौर पत्नी भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
जसलीन कौर संधू पुत्री भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
पंजाब नेशनल बैंक हरिपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 27.6.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू
होकर श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री विनोद कुमार शर्मा मिन जानिब मुदायला
होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री
निम्नानुसार दी जाती है:-

क्र. सं.	काश्तकार का नाम मय वल्दियत एवं सकूनात	खाता सं./ खाते का योग	संबंधित काश्तकार का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार रकबा हैक्ट. में	संबंधित काश्तकार का नाम एवं काश्त अनुसार विवरण
1	1. गुरजीतसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार 2. धर्मसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरिपुरा 3. गुरचरणसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार	23/2.3603 है. 38/1.012 है. 57/2.530 है. 58/2.706 है.	खाता सं. 23 में 2.3603 है. खाता सं. 38 में 10.051 है. खाता सं. 57 में 0.506 है. 0.506 है. 1.518 है. कुल 2.530 है. खाता सं. 58 में 1.353 है. 1.353 है. कुल 2.706 है. कुल 7.6473 है. 1.910 है. 1.859 है. 3.8783 है.	1. गुरजीतसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार 206/114 (38) 2/1/0.228, 2/2 खाला/0.025, 9-12/0.506, 15/1/0.089,19 मिन/0.1162, 22मिन/0.1163,207/114(39) 10मिन/0.051, 12/2/0.0843 205/119(61)15/1/0.202, 15/2 खाला/0.026, 15/3 रास्ता/0.025, 16/1/0.202, 16/2 खाला/0.025, 16/3 रास्ता/ 0.026, 17ता20/1.012, 21/0.202,22 ता 24/0.759, 25/2/0.051 कुल 3.7458 है., नहरी 3.6188 है., खाला 0.076 है. रास्ता 0.051 है. 2. धर्मसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरिपुरा 206/114(38) 16मिन/0.251, 17/2/0.083, 19मिन/0.1368,22मिन/0.1367, 24/2/0.080, 25मिन/0.228 207/114(39)11/2मिन/0.042, 20/1मिन/0.152 206/119(60) 19/0.202, 20-21/0.506.

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



			22/0.164 205/120(63) 12/0.076, 13-14/0.506, 15/1/0.228, 15/2खाला/0.025, 18/0.215 206/120(64) 1/0.253, 2/0.101, 9/0.063, 10/0.253, 11/2/0.089, 12/0.025 कुल 3.8155 है., नहरी 3.7905 है., खाला 0.025 है.
			3. गुरजीतसिंह पुत्र गुरचरणसिंह 1/2 हिस्सा जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार धर्मसिंह पुत्र गुरचरणसिंह 1/2 हिस्सा जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार 206/114(38) 16मिन/0.002, 25मिन/0.025, 207/114(39) 11/2मिन/0.021, 20/1 मिन/0.038 कुल 0.086 है.
1. गुरमेलसिंह पुत्र बूटासिंह जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार 2. चरणजीतकौर पत्नी भूपेन्द्रसिंह जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार 3. गुरजापसिंह सिद्ध पुत्र भूपेन्द्रसिंह जाति जटसिख सा. हरिपुरा 4. जसलीनकौर सिद्ध पुत्र भूपेन्द्रसिंह जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार	38/1.012 है.	0.202 है. 0.085 है. 0.337 है. 0.337 है. कुल 0.961 है.	1. गुरमेलसिंह पुत्र बूटासिंह 202/961 हिस्सा जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार 2. चरणजीतकौर पत्नी भूपेन्द्रसिंह 85/961 हिस्सा जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार 3. गुरजापसिंह सिद्ध पुत्र भूपेन्द्रसिंह 337/961 हिस्सा जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार 4. जसलीनकौर सिद्ध पुत्र भूपेन्द्रसिंह 337/961 हिस्सा जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार 207/114 (39) 10 मिन/0.202 206/117 (53) 13-18-19/0.759 कुल 0.961 है. नहरी

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/110 दिनांक 17.04.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिग्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज..........मुद्लिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक..........को अदा करे।

बसवत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.6.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

4
(जय कौशिक)
महामुक्त न्यायाधीश एवं
समाप्त अधिकारी
संगरिया